न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 256/2022

प्रार्थी	**बनाम**	विप्रार्थीगण
शंकरराम पुत्र मंगलाराम जाति भील निवासी गोपड़ी तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		1.मांगाराम पुत्र गोबरराम जाति भील निवासी मूंगड़ा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर 2.खेताराम पुत्र हीराराम जाति भील निवासी इन्द्रोही तहसील रामसर व जिला बाड़मेर 3.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1 श्री देवीसिंह महेचा,अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.श्री अचलाराम चौधरी, अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।

3. विप्रार्थी संख्या 01 व 3 एकतरफा।

आदेश

दिनांक–29.11.2022

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी, की ओर से मूलवाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत कर विवादित भूमि ग्राम सिधियों की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 36 क्षेत्रफल 1.7326 हैक्टयर [illegible] संख्या 1686/37 क्षेत्रफल 1.0623 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी में अवस्थित है, [illegible] विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करने व राज[illegible] रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखनें बाबत आशंय की इस्तदुआ चाही गई। जिस पर प्रार्थी का आवेदन पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पर एकपक्षीय बहस सुनतें हुए विवादित भूमि पर आदेश दिनांक 28.7.2022 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थायी निषेघाज्ञा इस आशंय की जारी गई कि विप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप दखलदान्जी नहीं करे व मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थी की ओर से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म करने का निवेदन किया गया।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस जारी करवाई गई थी। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकील श्री अचलाराम थोरी की ओर से मूलवाद में वकालतनामा पेश किया गया और प्रार्थी के आवेदन का पदवार जबाव पेश कर प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को अपास्त कर आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। शेष विप्रार्थी बावजूद रजिस्ट्र्ड नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 02 वकील की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये थे कि वादी/प्रार्थी की ओर से एक राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेघाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश जारी करने हेतु पेश किया। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलनें की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि ग्राम सिधियों की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 36 क्षेत्रफल 1.7326 हैक्टयर व खसरा संख्या 1686/37 क्षेत्रफल 1.0623 हैक्टयर भूमि अवस्थित है,जिसमें खसरा संख्या 36 में प्रार्थी का 77/274 हिस्सा व खसरा संख्या 1686/37 में 11/21 हिस्सा है और प्रार्थी का अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का अपने हिस्सेनुसार भूमि पर रहवासीया ढाणी,पानी के टांके व मवेशी के लिए बाड़े इत्यादि बनायें हुए है। प्रार्थी द्वारा कभी भी आम मुख्त्यारनामा विप्रार्थी संख्या 01 मांगाराम [illegible] गड़ा तहसील पचपदरा के पक्ष में निष्पादित नहीं किया [illegible] द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए धनराज व अन्य से मिलकर नोटेरी करवाया गया,जिस पर सभी पृष्ठो पर अगुठा अगुलियों के निशान प्रार्थी के किये हुए नहीं है एवं न ही प्रार्थी द्वारा साक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:53 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
29.11.2022

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

के समक्ष कभी भी आम मुख्त्यारनामा तस्दीक किया गया। जिससे मांगाराम किसी प्रकार का मुख्त्यारनामा नहीं होने से वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का हकदार नहीं था। लेकिन विप्रार्थी संख्या 01 ने फर्जी तरीके से तैयार मुख्त्यारनामा के आधार पर विवादित भूमि का अवैध बेचान विप्रार्थी संख्या 02 को कर दिया। जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि को बेचान करने का विप्रार्थी संख्या 01 को कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से मिलीभगत करतें हुए मुख्त्यारनामा फर्जी तैयार करवाया गया और उक्त फर्जी मुख्त्यारनामा के आधार पर अवैध बेचान पत्र भी उप पंजीयक पचपदरा कार्यालय में पंजीबद्व करवा दिया गया। जिसकी प्रार्थी द्वारा कभी भी इस प्रकार का मुख्त्यारनामा खास विप्रार्थी संख्या 01 क पक्ष में नहीं लिखा गया था। लेकिन विप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के साथ धोर अन्याय किया गया है। प्रार्थी की ओर से फर्जी मुख्त्यारधारक वगैरा के विरूद्व पुलिस कार्यवाही भी की जा रही है। बेचानपत्र में साख देने वालें व्यक्ति श्री नारायणसिंह द्वारा प्रार्थी की भूमि को हड़प करने की नियत से ही अपने गांव के व्यक्ति के नाम बेचानपत्र पंजीबद्व करवाया गया है। जबकि विवादित भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है और प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन गलत बेचानपत्र के आधार विप्रार्थी पक्ष प्रार्थी को मौके पर कब्जाशुदा भूमि से बेदखल करने व मौका स्थिति को रद्दोबदल करने पर उतारू है और धमकिया दी जा रही है प्रार्थी की हक हिस्से की भूमि को आगे ओर अजनबी क्रेताओं कों बेचान कर दी जावेगी। यदि इसमें सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी और भविष्य में भी इसकी भूरपाई नही होगी। इस प्रकार प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनतें है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी विवादित भूमि के संबध में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.7.2022 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म फरमानें का आदेश पारित किया जावें।

05.इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 02 की बहस थी कि प्रार्थी की ओर से पेश वाद सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण वाद खारिज योग्य है। जिस कारण आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,अनुसूचित जनजाति पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:53 IST
Reason: SelfAttested

[signature] 29.11.2022
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पैतृक सम्पति के सिद्वात लागू नहीं होतें है। प्रार्थी स्वंय ने स्वेच्छा से विप्रार्थी संख्या 01 के हक में खास मुख्त्यारनामा निष्पादित किया गया,उस पर प्रार्थी के अगुष्ठ निशान है। प्रार्थी द्वारा निष्पादित आम मुख्त्यारनामा को किसी न्यायालय द्वारा प्रश्नगत कर,न्याय निर्णीत नहीं किया गया है,आम मुख्त्यारनामा के जरिये प्रार्थी ने अपने समस्त हक,हित,अधिकार मुख्त्यारधारक को दिये,जिसके द्वरा ऐसे विधिक अधिकारों का उपयोग करतें हुए विवादित भूमि को बेचान विप्रार्थी संख्या 02 को किया गया। जो कि एक प्रकार से वैध पंजीबद्व दस्तावेज है और वक्त खरीद से आदिनांक तक विप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा काश्त चला आ रहा है और पंजीबद्व दस्तावेज की विधिक की जांच राजस्व न्यायालय को नहीं है। विप्रार्थी संख्या 02 ने सप्रतिफल भूमि खरीद की और तयशुदा प्रतिफल की राशि अदा की,जो प्रार्थी के अधिकृत द्वारा प्राप्त की,जो उससे प्रार्थी ने प्राप्त की। बेचाननामा फर्जी होने का कथन गलत है,नामान्तकरण से हको का सृजन नहीं होता है,हक हित अधिकारों का अन्तरण पंजीकृत दस्तावेंज के माध्यम से होता है। अपनी बहस को आगे ओर जारी रखतें हुए तर्क दिये कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर वाद व आवेदन पेश कर एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करवा दिया। जबकि विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी की ओर से अधिकृत मुख्तयारधारक से सप्रतिफल राशि अदा कर पंजीकृत दस्तावेजात के आधार पर विवादित भूमि क्रय की गई है। लेकिन प्रार्थी द्वारा अदालत को वास्तविक तथ्यों से गुमराह करते हुए स्थगन आदेश जारी करवा दिया। जिसका प्रार्थी हकदार भी नहीं है और स्थगन आदेश जारी होने के कारण विप्रार्थी संख्या 02 को क्षति हो रही है। क्योंकि विप्रार्थी संख्या 02 विवादित भूमि का खातेदार है और खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। इस कारण प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में बनतें है। अतःप्रार्थी का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण मय खर्चा आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:53 IST
Reason: SelfAttested

6.हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि

29.11.2024

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम सिधियों की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 36 व 1686/37 भूमि पर प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम स्थगन आदेश पारित हो रखा है। न्यायालय को यह तय करना है कि क्या अन्तरिम स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म योग्य है अथवा अन्तरिम स्थगन आदेश निरस्त योग्य है। इसके लिए प्रथम द्वष्यता मामला,सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीन बिन्दुओं के आधार पर तय होगा। प्रार्थी की ओर से अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा कभी भी आम मुख्त्यारनामा विप्रार्थी संख्या 01 मांगाराम पुत्र गोबरराम जाति भील निवासी मूगड़ा तहसील पचपदरा के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है,बल्कि फर्जी इकरारनामा मांगाराम द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए धनराज व अन्य से मिलकर नोटेरी करवाया गया,जिस पर सभी पृष्ठो पर अंगुठा अगुलियों के निशान प्रार्थी के किये हुए नहीं है एवं न ही प्रार्थी द्वारा साक्षीगण के समक्ष कभी भी आम मुख्त्यारनामा तस्दीक किया गया। जिससे मांगाराम किसी प्रकार का मुख्त्यारनामा नहीं होने से वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का हकदार नहीं था। प्रार्थी की ओर से आम मुख्त्यारनामा पर उठायें गये उजर एतराज मानने योग्य नहीं है। क्योंकि आम मुख्त्यारनामा की वैधता की जांच करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसके लिए प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए सक्षम है और विवादित भूमि का रजिस्ट्रर्ड बेचानपत्र के आधार पर बेचान हुआ है और बेचानपत्र के आधार पर विप्रार्थी संख्या 02 के विवादित भूमि में हक हकूक पैदा हुए है। खरीददार को स्थगन आदेश से पांबद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रथम द्वष्यता मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है और जहां तक सुविधा का संतुतन का प्रश्न है,वह भी विप्रार्थी के पक्ष में बनता है। क्योकि मूल विवाद प्रार्थी की खातेदारी में दखलदान्जी नही करने बाबत है,जब प्रार्थी की ओर से अधिकृत मुख्त्यारधारक द्वारा जरिये पंजीबद्व बेचानपत्र के भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 02 को कर दिया है,अब प्रार्थी का विवादित भूमि में कोई [illegible] है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा पंजीबद्व बेचानपत्र को शून्य घोषित नहीं कर दिया गया हो। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी विप्रार्थी के पक्ष में बनता है। जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न

(हस्ताक्षर) 29.11.2022
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:53 IST
Reason: SelfAttested

है,वह भी बिन्दु विप्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योकि विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पंजीबद्व बेचानपत्र के आधार पर विवादित भूमि क्रय की गई है और पंजीबद्व बेचानपत्र होने के उपरांत भी विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अर्जन नहीं कर पा रहा है। क्योकि प्रार्थी की ओर से सारहीन तथ्यों के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है,जो कि स्थगन आदेश जारी नही रह सकता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही प्रार्थी के पक्ष में न होकर विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में बनते है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.7.2022 निरस्त योग्य होने एवं मूल आवेदनपत्र 212 सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

7.**लिहाजा** प्रार्थी का आवेदनपत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.7.2022 को निरस्त कर प्रार्थी का आवेदनपत्र खारिज किया जाता है।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 29.11.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.11.2022

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:53 IST
Reason: SelfAttested